समाहरणालय, सहरसा
(जिला विधि शाखा)
सूचना

बिहार विधि पदाधिकारी (बचनबद्धता) नियमावली 2017, Bihar Practice & Procedure Manual की कंडिका 138 एवं सरकार के विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 322/जे0 दिनांक 20.01.2016 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 3918/जे0 दिनांक 21.05.2018 के आलोक में **मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक** की नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड तथा अनुभव वाले अधिवक्ताओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

पात्रता :– **मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक** के रूप में वचनबद्ध किए जाने हेतु कोई अधिवक्ता –

(क) भारत का नागरिक और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद से रजिस्ट्रीकृत होगा।

(ख) अभिहीत वरीय अधिवक्ता अथवा अभिलेख अधिवक्ता होगा जो पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा विधि न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हो अथवा कोई अधिवक्ता जो बिहार के व्यवहार न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हो।

(ग) सहरसा व्यवहार न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो।

वचनबद्धता के लिए निरर्हताएँ :– कोई भी अधिवक्ता या वरीय अधिवक्ता, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2017 के अधीन मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक के रूप में वचनबद्ध होने अथवा बने रहने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में निरर्हित होगा :–

1. किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामलें में किसी प्राइवेट व्यक्ति से ब्रीफ स्वीकार करने से विवर्जित है।
2. प्राइवेट व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में जिसमें उस व्यक्ति के हित सरकार अथवा उसके पदधारियों के प्रतिकूल हो, उपस्थित नहीं होगा अथवा उसे विधिक सलाह नहीं देगा।
3. किसी व्यक्ति से, चाहे वह अर्जीदार अथवा प्रत्यर्थी हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधान मंडल या संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गई किसी निर्वाचन अर्जी की कार्यवाही में किसी व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह वैसा पद धारित करता है, विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा।
5. किसी परिनियम या अन्यथा के अधीन अथवा द्वारा गठित राज्य के किसी परिकरण को, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, प्राधिकार इत्यादि शमिल है, विधिक सलाह नहीं देगा अथवा से ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा जहॉ वैसी सलाह, स्वीकार्यता, उपस्थिति सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिकूल हो।
6. किसी व्यक्ति, संगठन को विधि सलाह देना, ब्रीफ प्रतिधारिता करना अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित होना जारी नही रखेगा जिससे सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित, इस नियमावली के अधीन वचनबंध होने के बाद, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता हो।

कर्त्तव्य :–

(क) राज्य सरकार को ऐसे विधिक मामलों में सलाह देना और विधिक चरित्र के ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार अथवा महाधिवक्ता द्वारा, समय–समय पर, उसे निर्देशित अथवा समनुदेशित किया जाय।